



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक/प्रशासन/सत्ताईस(6)/2023/592 दिनांक : 12 JUL 2023

सूचना

विश्वविद्यालय के उन नियमित शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों अथवा किसी महाविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश चाहते हैं या विश्वविद्यालय की सत्र 2023-2024 की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं।

2/ आवेदन की पात्रता केवल उन्हीं शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को होगी जो दिनांक 30-07-2023 तक सेवा का एक वर्ष पूर्ण कर लेंगे। यदि दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कोई कर्मचारी लगातार संतोषजनक कार्य करने के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित स्थापना पर नियुक्त हो जाता है तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उसका सेवा काल दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त होने के दिनांक से माना जावेगा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा/अन्य किसी चयन परीक्षा के माध्यम से होता है, तो प्रवेश के इच्छुक शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर संबंधित विभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रशासन विभाग को दिनांक 30-07-2023 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्बद्ध महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले (इच्छुक शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी) तथा वर्ष 2023-2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन दिनांक 30-07-2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

3/ आवेदन पत्र अपने विभागीय अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होना आवश्यक है। प्रपत्र के कालम 9(स) में यदि परीक्षा परिणाम अघोषित हो तो परिणाम मालूम होते ही सूचित करें, अन्यथा उस कॉलम की पूर्ति के बिना आदेश नहीं निकाला जावेगा।

4/ परीक्षा की अनुमति निम्नांकित नियमों के अन्तर्गत प्रदान की जावेगी -

1. अधिकतम 20 प्रतिशत कर्मचारियों को ही अनुमति की पात्रता होगी।
2. संबंधित कर्मचारी विश्वविद्यालय में नियमित नियुक्ति पर हो तथा दिनांक 30-07-2023 को सेवा अवधि का एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

3. पाठ्यक्रम पूर्णरूपेण उत्तीर्ण होने की स्थिति में अगली अनुमति तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जावेगी। स्नातक अथवा स्नाताकोत्तर परीक्षा की स्थिति में एक भाग की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अगले भाग की परीक्षा अनुमति लगातार वर्षों में प्रदाय की जावेगी।
4. परीक्षा के लिए अवकाश सामान्यतः सक्षम स्वीकृति के अधीन देय होगा।
5. लगातार दो वर्ष तक परीक्षा अनुमति प्राप्त करने एवं दी गई अनुमति का लाभ नहीं उठाने की स्थिति में आगामी अनुमति तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जावेगी।
6. किसी एक विशिष्ट पाठ्यक्रम/परीक्षा हेतु दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जावेंगे।
7. कार्यालयीन हित में किसी भी समय दी गई अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

5/ आवेदन पत्र में पिछली परीक्षा की अनुमति कब दी गई, उसका परिणाम अथवा अनुमति का लाभ क्यों नहीं उठाया गया, इत्यादि कॉलम की पूर्ति नहीं होने के कारण अनावश्यक पत्र व्यवहार होने से प्रकरण लंबित हो जाते हैं। इस प्रकार के विलंब को टाले जाने हेतु, प्रपत्र की पूर्ण व सही पूर्ति कर प्रस्तुत करें।

6/ निर्धारित तिथि 30-07-2023 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


कुलसचिव

पृ.क्र./प्रशासन/सत्ताईस(6)/2023/ 592 दिनांक : 12 JUL 2023
प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययन शालाओं की ओर भेजकर निवेदन है कि वे इस सूचना को अपने अधीनस्थ शिक्षक/कर्मचारियों से नोट करा लें, आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।
2. समस्त अधिकारी/कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक/समस्त वार्डन, विश्वविद्यालय के छात्रावास।
3. प्रभारी आई.ई.टी सेन्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर - 452 001

प्रति,
कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

महोदय,

मैं वर्ष..... की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

2/ परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु मेरा विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का नाम:
- तथा पद
2. आवेदक की कार्य श्रेणी
- शिक्षक/अधिकारी, द्वितीय, :
- तृतीय या चतुर्थ
3. उप विभाग :
4. उपरोक्त पद पर नियुक्ति :
- का दिनांक
5. विश्वविद्यालय में प्रथम :
- नियुक्ति का दिनांक
6. परीक्षा का नाम जिसमें :
- सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ ।
7. किस रूप में सम्मिलित होना :
- चाहते हैं नियमित/स्वाध्यायी
8. गत परीक्षा का नाम एवं वर्ष :
- जो उत्तीर्ण की गई हैं गत
- परीक्षा के परिणाम की जानकारी
- आवेदक द्वारा दी जाने पर प्रार्थना
- पत्र पर विचार संभव होगा ।

9 क्या आवेदक को पूर्व में कभी :

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु
अनुमति दी गई थी यदि हाँ तो

अ. परीक्षा का नाम :

ब. वर्ष :

स. परीक्षा का परिणाम :

उ. यदि अनुमति का लाभ :

नहीं उठाया हो तो

उसका कारण

10 अन्य विवरण :

11 मोबाईल नम्बर

भवदीय,

हस्ताक्षर

अग्रेषिण अधिकारी

टीप: यह प्रार्थना पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी/विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा अधिकारी द्वारा अग्रेषित होना चाहिए।